रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2000/चैत्र 17, 1922
No. 242] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2000/CHAITRA 17, 1922

ओ.टी.सी. एक्सचेंज ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुम्बई, 30 मार्च, 2000

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के संस्था अन्तर्नियम तथा उप-नियम में संशोधन

(28 जुलाई 1999 तथा 25 अक्तूबर 1999 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक तथा असाधारण सामान्य बैठक में ओटीसीईआई के शेयरधारकों तथा 28 फरवरी 2000 के अपने पत्र सं. आरडी: 12/25 (8) 12/99/1844 एवं 29 फरवरी 2000 के पत्र आरडी: 6/25 (8) 9/99/1935 के जरिए कंपनी कार्य विभाग द्वारा यथा अनुमोदित)

का.आ. 351(अ).—ओटीसीईआई के संस्था अन्तर्नियम में संशोधन :

ओटीसीईआई के संस्था अन्तर्नियम के अनुच्छेद 117 के बाद जोड़ा गया नया अनुच्छेद 117-ए :

"117-ए (ए) "एक्सचेंज द्वारा या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा सदस्य के विरुद्ध की गयी किसी अनुशासनिक कार्रवाई के कारण ट्रेडिंग के स्थगन, स्टॉक ब्रोकर के रूप में पंजीयन के निलम्बन की स्थिति में सदस्य निदेशक मंडल में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा और ट्रेडिंग के ऐसे स्थगन या पंजीयन के निलम्बन, जैसा भी मामला हो, की

समाप्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निदेशक मंडल मे चुने जाने के लिए भी पात्र नहीं होगा.

जिस सदस्य का पंजीयन रद्द कर दिया गया है, उसे निदेशक मंडल में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी या वह निदेशक मंडल में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा."

तथा

(बी) "विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 के अनुसार अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति निदेशक मंडल में बने नहीं रहेंगे तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्ति की अधिसूचना वापस लिये जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निदेशक मंडल में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होंगे."

ओटीसीईआई के उप-नियमों में संशोधन

ओटीसीईआई के संस्था अन्तर्नियम के अनुच्छेद 137-बी.1 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है :

'137-बी.1. निदेशक मंडल तीन सांविधिक उप-समितियों अर्थात् विवाचन, अनुशासन तथा व्यतिक्रम उप-समितियों का गठन करेगा. इन उप-समितियों में सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जिसके अधिकतम 40% सदस्य एक्सचेंज के सदस्यों/डीलरों के प्रतिनिधि होंगे तथा शेष 60% सेबी द्वारा नियुक्त जन-प्रतिनिधियों सहित एक्सचेंज के सदस्यों/डीलरों से भिन्न व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे. इन तीनों उप-समितियों में सदस्यों की नियुक्ति सेबी के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी. इन तीनों उप-समितियों के लिए तीन सदस्यों का कोरम होगा."

ओटीसीईआई के उप-नियम के अध्याय II के खंड 05 का तीसरा पैरा निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है :

"05. इन उप-समितियों में सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जिसके अधिकतम 40% सदस्य एक्सचेंज के सदस्यों/डीलरों के प्रतिनिधि होंगे तथा शेष 60% सेबी द्वारा नियुक्त जन-

प्रतिनिधियों सहित एक्सचेंज के सदस्यों/डीलरों से भिन्न व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे.

इन तीनों उप-समितियों में सदस्यों की नियुक्ति सेबी के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी.

इन तीनों उप-समितियों के लिए तीन सदस्यों का कोरम होगा."

[सं. 0919/00/सीपी/एलएण्डएस/037]

कृते ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

जोसेफ एच बास्को, प्रबन्ध निदेशक

OTC EXCHANGE OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th March, 2000

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND BYE-LAWS OF OTC EXCHANGE OF INDIA.

(As approved by the shareholders of OTCEI at the Annual General Meeting and Extra-Ordinary General meeting held on July 28, 1999 and October 25, 1999 and The Department of Company Affairs vide their letter No.RD:12/25(8)12/99/1844 dated February 28, 2000 & RD:6/25(8)9/99/1935 dated February 29, 2000)

S.O. 351(E).—Amendments to the articles of Association of OTCEI.

New Article 117-A inserted after Article 117 of the Articles of Association of OTCEI:

"117-A (a) "In the event of suspension of trading, suspension of registration as stock broker, because of any disciplinary action taken against the member by Exchange or by the Securities and Exchange Board of India, the member shall not be eligible to continue on the Board of Directors and shall also not be eligible to be elected to the Board of Directors for a period of two years from the date of expiry of such suspension of trading or suspension of registration, as the case may be.

A member whose registration has been cancelled would not be allowed to continue on the Board of Directors or be eligible to be elected to the Board of Directors."

AND

(b) "The persons falling in the category of Notified Persons as per the Special Courts (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992, shall not continue on the Board of Directors and shall not be eligible to be elected to the Board of Directors for a period of two years from the date the person is denotified under the said Act."

Article 137-B.1. of the Articles of Association of OTCEI stands modified as follows:

'137-B.1. The Board of Directors shall constitute three statutory sub-committees namely, Arbitration, Disciplinary and Default sub-committees. These sub-committees shall consist of such number of members of which not more than 40% shall be the representatives of the Members/Dealers of the Exchange and the balance 60% shall be representatives of persons other than Members/Dealers of the Exchange, including public representatives appointed by SEBI. Appointment of members on these three sub-committees shall be subject to the prior approval of SEBI. The quorum for all the three sub-committees shall be three members.'

AMENDMENTS TO THE BYE-LAWS OF OTCEI.

Third para of clause 05 of Chapter II of the Bye-laws of OTCEI amended as follows:

"05. The sub-committees shall consist of such number of members of which not more than 40% shall be the representatives of the Members/Dealers of the Exchange and the balance 60% shall be representatives of persons other than Members/ Dealers of the Exchange, including public representatives appointed by SEBI. Appointment of members on these three sub-committees shall be subject to the prior approval of SEBI. Three members shall form a quorum for all the three sub-committees."

[No. 0919/00/CP/L&S/037]

For OTC Exchange of India

JOSEPH H BOSCO, Managing Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000